रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 54] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 27, 1971/चैत 6, 1893

No. 54] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 27, 1971/CHAITRA 6, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March 1971

G.S.R. 457.—The following Proclamation by the President is published for general information:

Whereas, I, V V. Giri, President of India, have received a report from the Governor of the State of Mysore and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

(a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in, or exercisable by the Governor of that State;

(b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and

(c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:—

(i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;

(ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely:—

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India; articles 163 and 164;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State; article 167;

so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of the State; clause (1) of article 174; articles 175, 176 and 177; clause (c) of article 179 and the first proviso thereto; article 181, clause (c) of article 183 and the proviso thereto; articles 185, 189, 193, 194 and 196 to 198 (both inclusive); articles 200 and 201; articles 208 to 211 (both inclusive); the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and

so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;

(iii) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the reference in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the Houses thereof, shall be construed as references to the President and to Parliament or to the Houses thereof respectively:

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

(iv) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution and the Mysore General Clauses Act, 1899 (Mysore Act No. III of 1899), and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State Laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.

NEW DELHI, V. V. GIRI,

The 27th March, 1971. President.

[No. F. 38/13/71-Pol. I(A).]

NEW DELHI; GOVIND NARAIN, Secy.
The 27th March, 1971.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1971

जी० एस० आर० 457.—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उद्घोषणा सर्व-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है :—

यतः मुझे व० वे० गिरि, भारत के राष्ट्रपति, को मैसूर राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा उस रिपोर्ट पर और मुझे प्राप्त अन्य जानकारी पर विचार करने के पश्चात् मेरा समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें कि उस राज्य का शासन भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'संविधान' कहा गया है) के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है;

अतः अब मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा उद्घोषणा करता हूं कि मैं :—

(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित या तद्द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने हाथ में लेता हूं;

(ख) घोषित करता हूं कि उक्त राज्य के विधान मण्डल की शक्तियां संसद् के प्राधिकार द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होंगी; और

(ग) निम्नलिखित प्रासंगिक और आनुषंगिक उपबन्ध करता हूं जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं, अर्थात् :—

(i) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खण्ड (क) के आधार पर अपने हाथ में लिए गये कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझूं उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा;

(ii) उस राज्य के सम्बन्ध में संविधान के निम्नलिखित उपबन्धों के प्रवर्तन को एतद्द्वारा निलम्बित किया जाता है अर्थात् :—

अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का सम्बन्ध ऐसे विधेयक को जो उसमें निर्दिष्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मण्डल को निदेशित करने से है;

अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा राज्यपाल के समक्ष उपस्थित किए गए प्रतिवेदनों को राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने से है अनुच्छेद 163 और 164,

अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध राज्य सरकार के कार्य के मंत्रियों के बीच बटवारे से है, अनुच्छेद 167;

अनुच्छेद 169 के खण्ड (1) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प पारित किये जाने से है;

अनुच्छेद 174 का खण्ड (1), अनुच्छेद 175, 176 और 177, अनुच्छेद 179 का खण्ड (ग) और उसका प्रथम परन्तुक, अनुच्छेद 181, अनुच्छेद 183 का खण्ड (ग) तथा उसका परन्तुक, अनुच्छेद 185, 189, 193, 194 तथा 196 से 198 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं, अनुच्छेद 200 और 201, अनुच्छेद 208 से 211 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं). अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) का परन्तुक तथा खण्ड (3) का परन्तुक; और

अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध ज्ञापन सहित प्रतिवेदन के राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने से है;

(iii) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का अर्थ उस राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया जायेगा और उसमें राज्य के विधान मण्डल या विधान सभा के प्रति किसी निदेश का जहां तक उसका सम्बन्ध उसके कृत्यों और उसकी शक्तियों से है, अर्थ, जब तक कि सन्दर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो संसद् के प्रति निदेश लगाया जायेगा और विशिष्टतया अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य के विधान मण्डल या विधान सभा के प्रति निदेश का अर्थ क्रमशः राष्ट्रपति और संसद या उसके सदनों के प्रति निदेश लगाया जायेगा;

परन्तु इसमें की कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं), अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 से लेकर पैरा 4 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं) के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी और न राष्ट्रपति को इस खण्ड के उपखण्ड (i) के अधीन उस सीमा तक जहां तक वह ठीक समझे उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी;

(iv) संविधान में उस राज्य के विधान मण्डल के या उसद्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निदेश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानों उसके अन्तर्गत इसउद्घोषणा के आधार पर संसद् द्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निदेश है और मैसूर साधारण खण्ड अधिनियम 1899 (1899 का मैसूर अधिनियम II) और साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (1897 का 10वां) का उतना भाग जितना राज्य विधियों पर लागू है ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में ऐसे प्रभावी होगा मानों यह उस राज्य के विधान मण्डल का अधिनियम हो ।

नई दिल्ली,
27 मार्च, 1971.

व० वे० गिरि,
राष्ट्रपति ।

[सं० फा० 38/13/71-पोल-1 (ए)]

नई दिल्ली,
27 मार्च, 1971.

गोविन्द नारायण, गृह सचिव ।

ORDER

New Delhi, the 27th March 1971

G.S.R. 458.—The following Order by the President is published for general information:

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 27th day of March, 1971, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Mysore and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

NEW DELHI;
The 27th March, 1971.

V. V. GIRI.
President.

[No. F.38/13/71-Pol.I(A).]

NEW DELHI;
The 27th March, 1971.

GOVIND NARAIN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 27 मार्च 1971

सी० ए० आर० 438.—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्व-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज 1971 के मार्च मास के 27वें दिन जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) का अनुसरण करते हुए मैं एतद्द्वारा निदेश देता हूं कि मैसूर राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य के राज्यपाल में निहित या एतद्द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खण्ड (क) के आधार पर अपने हाथ में ले लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

नई दिल्ली,
27 मार्च, 1971

व० वे० गिरि,
राष्ट्रपति।

[संख्या फा० 38/13/71-पोल० 1(ए)]

नई दिल्ली,
27 मार्च, 1971

गोविन्द नारायण, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971